न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 16 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 72)	07.05.2024	22.04.2025

बउनवान

1. बलवीर आ. स्व. केसरीलाल जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
2. कल्याणी बाई बेवा स्व. केसरीलाल जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
3. सुगना पुत्री स्व. केसरीलाल जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
4. सजन पुत्री स्व. केसरीलाल जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
5. शिमला पुत्री स्व. केसरीलाल जाति बलाई नि. गुढानाथावतान,
   तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— अपीलांटस

बनाम

1. टेकचंद पुत्र स्व. कालू जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
2. रंगलाल पुत्र स्व. कालू जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
3. रामपाली पुत्री स्व. कालू जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
4. सत्यनारायण पुत्र स्व. हजारी जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
5. विष्णु पुत्री स्व. हजारी जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
6. कान्ती पुत्री स्व. हजारी जाति बलाई नि. गुढानाथावतान
   तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 4 लगायत 6 की ओर से श्री दुर्गालाल गोचर, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर, बून्दी

A2

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार, बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 780 दिनांक 06.05.1993 ग्राम गुढानाथावतान से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से भूमि आवंटन के आधार पर आवंटी के पक्ष में गेर खातेदारी दर्ज की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 16/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2024/72 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1783/2062 रकबा 2.3070 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गुढानाथावतान के पूर्व खसरा संख्या 989 रकबा 15 बीघा थे, उक्त भूमि तीनों सगे भाईयों कालू, हजारी, केसरा पि0 गोपी कौम बलाई निवासी गुढानाथावतान को दिनांक 11.08.1971 को आवंटित की गई थी और उसी अनुसार तीनों आवंटी अपने अपने हिस्से 1/3, 1/3 की उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे है, इसलिए उक्त भूमि तीनों भाईयों के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई। उक्त तीनों भाईयों का देहान्त हो चुका है, अपीलांटस केसरा उर्फ केसरीलाल के वारिसान है जबकि रेस्पो.सं.1 लगायत 3 कालू के एवं रेस्पो.सं. 4 लगायत 6 हजारी के वारिसान है, जो अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बिना नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त आवंटित भूमि केवल मात्र कालू वल्द गोपी कौम बलाई के नाम ही दिनांक 06.05.1993 को गैरखातेदारी बाबत नामान्तरकरण संख्या 780 तस्दीक कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं विधि के सर्वथा विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। गैर खातेदार कालू के देहान्त के बाद भूमि रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो जाने से उनके मन में बदयान्ति आ गई है और वे इसका बेजा लाभ उठाकर अपीलांट को उनके हिस्से की भूमि पर से बेदखल करने पर आमादा है। रेस्पो.सं.1 लगायत 3 द्वारा माह अप्रेल,2024 के द्वितीय सप्ताह में अपीलांटस को भूमि उनके नाम होने तथा भूमि को खाली कर देने की धमकी दी गई। तब दिनांक 19.04.24 को राजस्व कार्यालय में जाकर तलाश करने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई, उसी दिन नामा0 की नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 25.04.2024 को नकल प्राप्त कर यह

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य पेश की गई। फिर भी देरी मानी जावे तो देरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा 2024(1) डीएनजे पेज 240, 2024(1) डीएनजे पेज 164, 1998 आरआरडी पेज 319 आरआरटी 2022(1) पेज 495 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 780 निरस्त किये जाने एवं तीनों भाईयों के वारिसान का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज किये जाने बाबत आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आवंटी कालू वल्द गोपी के पक्ष में गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर तस्दीक किया गया। अपीलांटस द्वारा अपील में उक्त भूमि पर स्वयं को काबिज काश्त होना बताया है, ऐसे में उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांटस द्वारा प्रारम्भ से ही जानकारी होने पर भी 31 वर्षो तक उक्त नामान्तरकरण को चुनौती नहीं देने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील पेश करने में किये गये अत्यधिक विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताये जाने से विलम्ब को क्षमा नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जावे। अपीलांटस द्वारा 31 वर्ष गुजर जाने के बाद पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 3 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया कि उक्त भूमि आवंटन हेतु रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के पिता कालू द्वारा ही आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था तथा आवंटन के बाद केवल मात्र आवंटी कालू को ही आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। आवंटन कमेटी द्वारा तीनों भाईयों का नाम अपने स्तर पर ही आवंटन आदेश में अंकित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध है, जबकि हजारी व केसरा द्वारा न तो उक्त भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया था और न ही उनको आवंटित भूमि का कब्जा संभला गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी कालू वल्द गोपी के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत खोला गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 4 लगायत 6 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कालू, हजारी, केसरा तीनों सगे भाई है, जिनको अपील विषयक आराजी का आवंटन किया गया था, उक्त भूमि पर तीना भाईयों का बराबर बराबर 1/3 हिस्से पर हक है और उसी अनुरूप काबिज चले आ रहे है। रेस्पो.सं. 4 लगायत 6 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल एक भाई कालू के नाम ही खोल दिया गया, जो अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 निरस्त किया जावे। अपीलांटस का 1/3, रेस्पो.सं.1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पो.सं.4 से 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज करने में रेस्पो.सं.4 लगायत 6 को कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी दिनांक 19.04.2024 को होने पर नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 25.04.24 को नकल होने पर अपील दिनांक 06.05.2024 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम गुढानाथावतान में स्थित आराजी खसरा सं. 1783/2062 रकबा 15 बीघा भूमि का गैर खातेदार कालू वल्द गोपी जाति बलाई दर्ज रेकार्ड थी। उक्त सिवायचक भूमि पर आवंटन आदेश दिनांक 11.08.1971 की पालना में गैर खातेदारी दर्ज कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिस पर अपीलांट को आपत्ति है कि उक्त भूमि कालू, हजारी, केशरा पि. गोपी बलाई को आवंटित होने के बावजूद केवल कालू के नाम दर्ज कर दी, जो निरस्त की जाकर तीनों भाईयों के नाम दर्ज की जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि एलोटमेंट कमेटी मुकाम गुढा द्वारा मिसल सं. 607 पर दिनांक 11.08.1971 को ग्राम गुढानाथावतान की आराजी ख.सं. 989 रकबा 15 बीघा भूमि कालू, हजारी, केशरा पि. गोपी जाति बलाई नि. गुढा को आवंटित की जाकर भूमि का कब्जा संभलाया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में आवंटियो के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 780 दिनांक 06.05.1993 मात्र एक आवंटी कालू पि. गोपी के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण सं. 780 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे आवंटन पत्रावली का अवलोकन कर, सभी आवंटियों/उनके वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेज/साक्ष्य आदि रेकार्ड पर लिये जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर; बून्दी